क्रमांक...............
मूल्य—1000/—

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

ई-रिक्शा/ई-कार्ट द्वारा

सागर शहर में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों

के वितरक सह परिवहनकर्त्ता

नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

वर्ष **2022-2025**

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
डेयरी संयंत्रः— सिरोंजा, नरसिंहपुर रोड, सागर
E-mail :- sanchimccsagar@gmail.com

मूल्य रू. 1000/—

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
डेयरी संयंत्रः—सिरोंजा, नरसिंहपुर रोड, सागर

1.	आवेदन प्रपत्र विक्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	दिनांक 07.02.2022 प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक
2.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	14.02.2022 अपरान्ह 1:00 बजे तक
3.	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	14.02.2022 अपरान्ह 4:00 बजे तक
4.	आवेदन खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	15.02.2022 अपरान्ह 3:00 बजे तक
5.	आवेदन के साथ जमा की गई धरोहर राशि	रू. 50000/— (पचास हजार मात्र) बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर पेयबल एट सागर के नाम से देय हो ।
6.	आवेदन पत्र का मूल्य	रू. 1000/— (एक हजार मात्र)
7.	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर डेयरी संयंत्रः— सिरोंजा, नरसिंहपुर रोड, सागर
8.	दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु तकनिकी अहर्ताएं एवं सामान्य शर्तों का प्रारूप।	01 एवं 02
9.	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र 03
10.	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र 04
11.	दर संरचना	प्रपत्र 05

अन्य प्रारूप

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जाये कि :—

1. प्रपत्र क्रमांक 01 तकनीकी अर्हताएं प्रपत्र क्रमांक 02 सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 3 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 4 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर सागर शहर हेतु साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद हेतु आवेदन लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जाये।
2. आवेदन में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
3. पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के बिना प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे।
4. आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र—01, 02 एवं 03 के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जाये।
5. आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 05 पर साँची दुग्ध उत्पाद की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूंजी निवेश का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

प्रपत्र क्र.01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
सागर

महोदय,

ई–रिक्शा / ई–कार्ट साँची पार्लर नेटवर्क स्थापना व संचालन वाबत् वितरक सह–परिवहनकर्ता सागर शहर के कार्य हेतु दिनांक .... को समाचार पत्र में प्रकाशित अभिव्यक्ति की अभिरूचि आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न अनुबंध की शर्ते निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित उक्त शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ईएमडी राशि रू. 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो कि बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के नाम देय है, जिसका क्रमांक............................... दिनांक ....जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.	आवश्यक अर्हताऐं	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) है।		प्रोपइटर पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड / पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) का जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी.नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4	इंसुलेटेड या रेफ्रीजरेटेड वाहन **न होने की स्थिति में एक माह में वाहन उपलब्ध कराने हेतु रू.100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अनुबंधित वाहन होने की स्थिती में अनुबंध की छायाप्रति प्रस्तुत करें।**		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें। अनुबंधित वाहन होने की स्थिती में अनुबंध की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
5	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी बैंक का नाम व खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक निरस्त मूल चेक सलंग्न करें।
6	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) वित्तीय वर्ष, 2018–19 एवं 2019–20 का आयकर जमा (ITR) विवरण		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, 2018–19 एवं 2019–20 की आयकर विवरणी की

	संलग्न करना अनिवार्य है।		स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) दुग्ध या दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु वैध FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।		वैध FSSAI लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8	**आवेदनकर्ता (सोलप्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का दुग्ध / दुग्ध पदार्थ / आईसक्रीम न्यूनतम 10 ई–रिक्शा / कार्ट / रिक्शा के माध्यम से वितरक के रूप में वितरण कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।**		**दुग्ध / दुग्ध पदार्थ / आईसक्रीम न्यूनतम 10 ई–रिक्शा / कार्ट / रिक्शा के माध्यम से वितरक के रूप में वितरण कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव संबंधी रू. 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।**
9.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) का विगत 03 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) प्रति वर्ष पृथक–पृथक टर्न ओवर होना अनिवार्य है। इस प्रकार तीन वर्ष का न्यूनतम कुल 01 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है।		वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के टर्न ओवर संबंधित सी. ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें। बैलेंस शीट भी मान्य होगी।
11.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) के पास सागर शहर में न्यूनतम 1 फोकल पॉईन्ट होना अनिवार्य है। जिसमें न्यूनतम 10 डीपफ्रीजर / विजी कूलर का कोल्ड स्टोरेज होना अनिवार्य है।		**फोकल पॉईन्ट एवं कोल्ड स्टोरेज के स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें।**
12	वर्तमान में वितरक / परिवहनकर्ता / वितरक सह परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है व आवेदन प्रस्तुत कर रहें है तो दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।)		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'ब' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। यदि आवेदनकर्ता एक से अधिक मार्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक आवेदन में मूल प्रति एवं अन्य आवेदनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
13	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है, एमपीसीडीएफ / अन्य किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है एवं किसी भी थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।

14	ई.एम.डी. राशि रू. 50000/— (पचास हजार रूपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट।		बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के नाम देय मूल डी.डी./बैंकर्स चैक संलग्न करें।

नोट –

- उक्त समस्त शपथ पत्र रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक—पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता को पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात् भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर सागर शहर में ई—रिक्शा साँची पार्लर द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ के वितरण हेतु वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य को निरस्त कर बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर जो भी कार्यवाही की जायेगी वो मुझे मान्य होगी तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर ——————————————————————

नाम :— ——————————————————————

पता :— ——————————————————————

मोबाईल नं.——————————————————————

(सामान्य शर्ते)

प्रपत्र क्रमांक–02

ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर नेटवर्क स्थापना एवं संचालन हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु कार्य आवंटन की शर्ते :–

1. **आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है।**
2. **आवेदक का दुग्ध/दुग्ध पदार्थ/आईसक्रीम 10 ई–रिक्शा/रिक्शा/कार्ट के माध्यम से वितरण कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।**
3. आवेदक का विगत 03 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) में प्रतिवर्ष टर्न ओवर होना अनिवार्य है। इस प्रकार तीन वर्ष का कुल टर्न ओवर 01 करोड़ या अधिक होना अनिवार्य है।
4. **वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रारंभिक तौर पर न्यूनतम 10 ई–रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से ई–रिक्शा साँची पार्लर संचालन आरंभ करना अनिवार्य होगा एवं भविष्य में आवश्यकता अनुसार ई–रिक्शा साँची पार्लर की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।**
5. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 50000/– (अक्षरी रू. पचास हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी) जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे। चयन होने की स्थिति में आवेदनकर्ता द्वारा जमा ई.एम.डी राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जाएगा।
6. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर नेटवर्क वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत निर्धारित प्रतिभूति राशि के रूप में रू. 200000/– (दो लाख रूपये मात्र) डी.डी./आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. द्वारा) जमा करना होगी, जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। जितनी क्रेटें प्रदाय की जाएंगी, उसके विरूद्ध प्रचलित बाजार दर अनुसार क्रेट हेतु प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करना अनिवार्य होगी।
7. **ई–रिक्शा/ई–कार्ट में साँची की ब्राण्डिंग के साथ साँची पार्लर का डिज़ाईन दुग्ध संघ से अनुमोदित कराना होगा।**
8. **साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के भण्डारण एवं ई–रिक्शा/ई–कार्ट को दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु सागर शहर में न्यूनतम 1 फोकल पॉईन्ट होना अनिवार्य है। जिसमें 10 डीपफीजर/विजी कूलर का कोल्ड स्टोरेज होना अनिवार्य है।**
9. **ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर में दूध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं साँची आईस्क्रीम विक्रय की व्यवस्था रखनी होगी।**
10. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद को दुग्ध संघ से फोकल प्वाइंट/कोल्ड स्टोरेज तक स्वयं के अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड या रेफ्रीजरेटेड वाहन से स्वयं के व्यय से परिवहन करना होगा। उक्त इंसुलेटेड वाहन से संयंत्र से मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद उठाने होंगे एवं ई–रिक्शा साँची पार्लर नेटवर्क के माध्यम से विक्रय करना होगा।
11. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर नेटवर्क वितरक सह–परिवहनकर्ता को एक दिन पूर्व मांग ई.आर.पी सिस्टम/ई–मेल के द्वारा दुग्ध संघ को लिखित में देनी होगी, जिसकी दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम एवं समस्त साँची उत्पाद का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।
12. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले दुग्ध उत्पाद, की अग्रिम राशि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी। शासकीय अवकाश एवं साप्ताहिक अवकाश व बैंक

अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व की वांछित मांग अनुसार धनराशि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जाएगी। अतः ऐसे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ हो।

13. **ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता को समस्त साँची दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर प्रदाय किये जाएंगे एवं साँची दूध निर्धारत वितरक मार्जिन प्रदाय किया जाएगा। संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर ई–रिक्शा साँची पार्लर संचालकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जाना होगा।**
14. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट की जिम्मेदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की रहेगी।

15. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तो के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। साथ ही वितरक सह–परिवहनकर्ता को तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति व कार्य संतोषजनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार आपसी सहमति से एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक कार्य अवधि बढाई जा सकेगी।

16. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता को ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर में 150 से 300 लीटर क्षमता के डीप–फ्रीज़र की व्यवस्था करनी होगी। दूध एवं दुग्ध उत्पादों को 4 से 8 डिग्री तापमान तथा आइसक्रीम हेतु (–) डिग्री तक के तापमान की व्यवस्था होना चाहिये।

17. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर नेटवर्क वितरक सह–परिवहनकर्ता को सम्पूर्ण सागर शहर में ई–रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से लक्ष्य अनुसार विक्रय प्राप्त करना आवश्यक होगा।

18. ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में सहभागिता देगा। ई–रिक्शा प्रमोशन के लिए उपलब्ध स्थान में दुग्ध संघ के निर्देशानुसार प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रदर्शन किया जाना होगा।

19. इस EOI को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

20. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

21. वर्तमान में जिन पार्टियों के विरुद्ध दुग्ध संघ का किसी भी प्रकार का वाद/आर.आर.सी/प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो ऐसी पार्टी/व्यक्ति/फर्म आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसी पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।

22. दुग्ध संघ के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी भी दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. **आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी रिश्तेदार एवं आश्रित परिवार के सदस्य नहीं है, एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है एवं आवेदक के विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।**
24. प्राप्त आवेदकों में से वितरक सह–परिवहनकर्ता का चयन आवेदन फॉर्म में संलग्न विभिन्न मापदण्ड के लिए

अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिस आवेदक के अधिकतम अंक होंगे उसे वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु चयनित किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों को एक समान अंक प्राप्त होते है तो वितरक सह–परिवहनकर्ता का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

25. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मेरे द्वारा ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु आवेदन की समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 25 तक वर्णित शर्तों का पालन नही करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का यदि प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

पता...

....

प्रपत्र क्रमांक 03

ई–रिक्शा / ई–कार्ट द्वारा साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद के वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु अंक तालिका

(सागर शहर हेतु)

1. सागर शहर के लिए साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ के वितरक सह– परिवहनकर्ता की नियुक्ति के लिए नियमानुसार अंक तालिका निर्धारित की गई है ।

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष पृथक–पृथक (तीन वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का न्यूनतम कुल टर्न ओव्हर 01 करोड़ रूपये	प्रति करोड़ टर्न ओव्हर के मान से 10 अंक अधिकतम 40 अंक	
2	न्यूनतम 10 ई–रिक्शा / रिक्शा / कार्ट के माध्यम से दुग्ध / दुग्ध पदार्थ / आईसक्रीम वितरक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रतिवर्ष के मान से 10 अंक अधिकतम 40 अंक	
3	भण्डारण हेतु 10 डीपफ्रीजर / विजी कूलर का कोल्ड स्टोरेज	अधिक क्षमता हेतु 10 अंक अतिरिक्त अधिकतम 40 अंक	

नोट :अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ता को चयनित किया जायेगा तथा यदि दो या दो से अधिक आवेदकों के एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो वितरक सह–परिवहनकर्ता का चयन समिति के सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जायेगा ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र क्रमांक 04

ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर नेटवर्क सुपरस्टॉकिस्ट, हेतु

आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटो स्वप्रमाणित

1. आवेदनकर्ता/ फर्म का नाम – ....
2. पिता/पति का नाम – ....
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) – ....
4. दूरभाष नं. / मोबाईल नं – ....
5. E-mail ID – ....
6. शैक्षणिक योग्यता – ....
7. आवेदक फर्म का नाम/यदि – ....
   संयुक्त उद्यम है तो फर्मों का विवरण देना अनिवार्य है। (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित)
8. वर्तमान व्यवसाय – ....
9. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) – ....
   (अ) चल अचल संम्पति का व्योरा – ....
   (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में – ....
   जमा राशि (गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें।)
10. वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक – ....
    पूँजी की व्यवस्था – ....
11. जी.एस.टी. नम्बर – ....
    (छायाप्रति संलग्न करें।)
12. धरोहर/ई.एम.डी. राशि – ....
    डी.डी./एम.आर.नं – ....
    प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

दिनांक – ....

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता :–

– ....

– ....

– ....

– ....

प्रपत्र क्रमांक–05

(अनुबंध शर्तों का प्रारूप)

<u>अनुबंध पत्र</u>

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं ....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर ई–रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु निष्पादित किया जाता है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत ई–रिक्शा साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष "साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, आईसक्रीम एवं घी ई–रिक्शा के द्वारा वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत ई–रिक्शा साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्त है ।
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को न्यूनतम 10 ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर के माध्यम से साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं आइसक्रीम विक्रय हेतु सम्पूर्ण सागर शहर के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से तीन वर्ष अर्थात दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि हेतु ई–रिक्शा साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्त किया जाता है। जिसे वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक–एक वर्ष के लिए दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।
4. **द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समस्त साँची दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक दर पर प्रदाय किये जाएंगे एवं साँची दूध पर प्रतिलीटर निर्धारित वितरक मार्जिन प्रदाय किया जाएगा। संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर ई–रिक्शा साँची पार्लर संचालकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद, आईसक्रीम एवं घी प्रदाय किया जाना होगा।**
5. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राशि रु.......................शब्दों में .... जमा की गई है। जमा प्रतिभूति राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा। जितनी क्रेटें प्रदाय की जाएंगी, उसके विरूद्ध प्रचलित बाजार दर अनुसार क्रेट हेतु प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करना अनिवार्य होगी।
6. **द्वितीय पक्ष को प्रारंभिक तौर पर न्यूनतम 10 ई–रिक्शा/ई–कार्ट के माध्यम से ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर संचालन आरंभ करना अनिवार्य होगा। साथ ही भविष्य में प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष को ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर की संख्या बढ़ानी होगी।**
7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को मांग अनुसार प्रदायित राशि का एक दिवस पूर्व अग्रिम राशि जमा करने पर ही दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। शासकीय अवकाश व अन्य अवकाश, बैंक अवकाश होने की स्थिति में अंतिम कार्य दिवस (अवकाश वाले दिवस से पूर्व) पर अग्रिम राशि जमा कराने पर ही दुग्ध उत्पाद प्रदाय किए जाएंगे।
8. द्वितीय पक्ष को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट की जिम्मेदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की

रहेगी।

9. मांग एवं दुग्ध संघ में उपलब्धता अनुसार साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जायेगा, जिसे द्वितीय पक्ष उसी पैकिंग/ईकाई/क्रेट/कार्टन में (साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुला साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से निर्धारित समय में दिन में एक बार दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में दुग्ध पदार्थ की मांग की आपूर्ति उपलब्धता अनुसार अन्य समय पर भी की जा सकेगी। क्रेट में प्रदाय किए गए दुग्ध उत्पादों के वितरण पश्चात् उसी दिन खाली क्रेट संघ में जमा कराना अनिवार्य होगा।
10. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जायेंगे, जिनकी पूर्ति करने हेतु प्रयास करना होगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ की वांछित मात्रा की मांग एक दिवस पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम ई.आर.पी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जायेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, मात्रा का लेखा–जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे एवं प्रथम पक्ष द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे। साथ ही द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन ई–रिक्शा पार्लर संचालक को प्रदाय मात्रा का लेखा जोखा प्रत्येक ई–रिक्शा अनुसार संघ को ई–मेल के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज़ इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात् किसी भी प्रकार शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।
14. यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले साँची दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम, अन्य दुग्ध पदार्थ पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
15. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की पावती देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक सख्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
16. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित दुग्ध पदार्थ के सैम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष उन्हें सील बंद ईकाई (दुग्ध पदार्थ) देंगे, किसी भी स्थिति में खुला दुग्ध पदार्थ नही देंगे अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
17. द्वितीय पक्ष ई–रिक्शा साँची पार्लर के माध्यम से साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी/समकालीन ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय नहीं करेंगे।
18. **द्वितीय पक्ष को ''साँची'' की ब्रांडिंग कर ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर का डिज़ाईन प्रथम पक्ष से अनुमोदित कराना होगा।**
19. **ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर वितरक सह–परिवहनकर्ता को द्वारा ई–रिक्शा साँची पार्लर में 150 से 300 लीटर क्षमता के डीप–फ्रीज़र की व्यवस्था करनी होगी। दूध एवं दुग्ध उत्पादों को 4 से 8 डिग्री तापमान तथा आइसक्रीम हेतु (–) डिग्री तक का तापमान की व्यवस्था होना चाहिये।**
20. **द्वितीय पक्ष को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के भण्डारण एवं ई–रिक्शा/ई–कार्ट को दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु सागर में न्यूनतम 1 फोकल पॉईन्ट स्थापित करना होगा। जिसमें 10 डीपफीजर/विजी कूलर का कोल्ड स्टोरेज होना अनिवार्य है।**
21. **द्वितीय पक्ष विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में सहभागिता देगा। ई–रिक्शा/ई–कार्ट प्रमोशन के लिए उपलब्ध स्थान में प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रदर्शन किया जाना होगा।**
22. **द्वितीय पक्ष को ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर में दुग्ध उत्पाद, घी एवं साँची आईसक्रीम विक्रय की व्यवस्था रखनी होगी।**

23. यह कि द्वितीय पक्ष को मांग अनुसार दूध, दुग्ध पदार्थ डेयरी संयंत्र से प्राप्त करने हेतु वांछित क्षमता के इंसुलेटेड या रेफ्रीजरेटेड वाहन से दुग्ध संघ से प्राप्त कर निर्धारित फोकल पॉईन्ट तक परिवहन करना होगा।

24. यह कि उक्त अनुबंध दोनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।

25. यह कि उपरोक्त शर्तो में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा तथा आवेदन पत्र की समस्त शर्ते एवं दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र एवं परिपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा माने जाएंगे।

26. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

27. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यक्षेत्र में संचालित ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर एजेंट को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर दुग्ध उत्पाद मांग अनुसार पहुंचाकर प्रदाय करेंगे। द्वितीय पक्ष को प्रदायित दुग्ध पदार्थ की राशि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।

28. द्वितीय पक्ष पर किसी भी प्रकार की दुग्ध, दुग्ध उत्पाद की बकाया राशि एवं बकाया क्रेट होने पर प्रथम पक्ष के पास जमा प्रतिभूति राशि से बकाया राशि की वसूली की जाने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।

29. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित आवंटन की शर्तें एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य संपादन करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

30. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र सागर शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक .... को निष्पादित किया गया है।

मैं...पिता/पति/पत्नी... .... साँची दुग्ध दुग्ध उत्पाद, घी, आइसक्रीम एवं समस्त साँची उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री / श्रीमति...को घोषित करता/ करती हूँ।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण चेतना में बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)	**हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)**
नाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वितरक सह–परिवहनकर्ता	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर
पता	

हस्ताक्षर साक्ष्य– 1	हस्ताक्षर साक्ष्य– 1
नाम	नाम ....
पता..	पता ....
हस्ताक्षर साक्ष्य– 2	हस्ताक्षर साक्ष्य– 2
नाम	नाम ....
पता	पता ....

परिशिष्ट 'अ'

शपथ पत्र का प्रारूप

केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

नाम – ....
पिता – ....
आयु – ....
निवासी – ....

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा ई–रिक्शा/ई–कार्ट साँची पार्लर हेतु दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा ई–रिक्शा साँची पार्लर हेतु दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि :–

1. मैं बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूँ।
2. मुझे एमपीसीडीएफ, भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हैं।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... सागर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**
...

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... सागर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

परिशिष्ट ''ब''

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मेसर्स ...., सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) वर्तमान में बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के आदेश क्र. .... दिनांक .... द्वारा दुग्ध वितरक/दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता/घी वितरक....................................... के रूप में कार्यरत है। इनकी कार्य अवधि दिनांक .... तक प्रभावशील है। श्री/मेसर्स .... का कार्य संतोषप्रद है।

अतः श्री/मेसर्स....................... को दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा .... कार्य हेतु जारी निविदा/आवेदन/ई.ओ.आई में भाग लेने हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा जारी .... कार्य हेतु निविदा/आवेदन/ई.ओ.आई के लिये जारी किया जा रहा है, अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं।

प्रभारी (विपणन)